न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 03/2023 शस्त्र अधिनियम्
GCMS No. 2023/94

अरविन्द सिंह राठौड पुत्र मोहन सिंह राठौड जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. 5, पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

———अपीलान्ट

——बनाम——

स्टेट ऑफ राजस्थान

———रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः— श्री सत्यपाल सिंह शेखावत अभिभाषक अपीलांट
श्री गजेन्द्र सिंह अभियोजन अधिकारी राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 29.08.2025

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 26.07.2021, जिसके द्वारा अपीलांट की दादी स्व. श्रीमती सम्पत कंवर पत्नि चन्द्रसिंह के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बतौर मृत्तक प्रकरण में अपीलांट के नाम शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की दादी स्व. श्रीमती सम्पत कंवर पत्नि चन्द्रसिंह के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 75/76 डी एम बीकानेर रहा है, जिसका ओ एस नं. 211/82 डीएम श्रीगंगानगर दर्ज है। अपीलांट ने मृत्तक प्रकरण में अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2021 पारित करते हुए खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2021 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।
3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट तथा राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गयी ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. अभिभाषक अपीलांट ने मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन कर अपीलांट की अपील को अंदर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपीलांट की अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

5. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलान्ट की दादी स्व. श्रीमती सम्पत कंवर पत्नि चन्द्रसिंह के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 75/76 डी एम बीकानेर रहा है, जिसका ओ एस नं. 211/82 डीएम श्रीगंगानगर दर्ज है। अपीलांट ने मृत्तक प्रकरण में अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार चारित्रिक/आपराधिक प्रकरण ना तो रहा है एवं ना ही वर्तमान में अपीलांट के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी अनुज्ञा प्रार्थना पत्र प्रक्रिया में रही है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2021 एक पक्षीय बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित हैं तथा बिना दस्तोवजों का अवलोकन किये इकतरफा तौर पर पारित है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध प्रक्रियागत समस्त रिपोर्ट को नजरअन्दाज कर, बिना उनका उल्लेख कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपीलांट के कानूनन शस्त्र अनुज्ञा प्राप्त करने के आवेदन को बिना किसी प्रतिकूल आधार के खारिज करने के कारण निरस्तनीय है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील मियाद में शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

6. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री गजेन्द्र सिंह ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2021 पारित करते हुए अपीलांट के मृतक प्रकरण में शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के आवेदन पत्र को शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता हेतु कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश न्यायोचित हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट तथा राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय जिला

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2021 पारित करते हुए अपीलांट के मृतक प्रकरण में शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के आवेदन पत्र को शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता हेतु कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया। अपीलांट इस न्यायालय में भी शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता बाबत कोई उचित कारण बताने में असफल रहे। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है। हम अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2021 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

8. तदानुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर